रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 नवम्बर, 1996/11 कार्तिक, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 1996

सं0 एल0एल0आर0 (राजभाषा)बी0(16)10/96.—दि प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐण्ड न्यूज पेपरज (हिमाचल प्रदेश अमैण्डमेंट) ऐक्ट, 1973 (1974 का 17) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल

3179-राजपत्र/96-2-11-96—1,226. (4929) मूल्य : 1 रुपया।

प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 3-10-96 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

प्रेस और पुस्तक तथा समाचारपत्र रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973

(1974 का 17)

(2 अगस्त, 1974 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू प्रेस और पुस्तक तथा समाचारपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रेस और पुस्तक तथा समाचारपत्र रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. प्रेस और पुस्तक तथा समाचारपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) जितनी बार पुस्तकों और कागजपत्रों के मुद्रण के लिए मुद्रणालय, जो प्रायः बन्द हो गया है और उसे पुनः चलाया जाता है, नई घोषणा आवश्यक होगी ।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुद्रणालय में कार्य होना बन्द समझा जाएगा यदि उसमें लगातार छः मास की अवधि के लिए पुस्तकें या कागज-पत्र मुद्रित नहीं किए जाते हैं ।"

नई धारा 4-क का अन्तः स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"4-क. जहां धारा 4 के अधीन किसी मुद्रणालय के बारे में कोई घोषणा की जाती है और हस्ताक्षरित की जाती है, वहां घोषणा, उसी व्यक्ति द्वारा चलाए गए मुद्रणालय को छोड़ कर, ऐसे स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट का इस निमित्त राज्य सरकार से या अन्यथा, पूछताछ करने पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि आरम्भ किया जाने के लिए प्रस्तावित मुद्रणालय का, वही नाम या उससे मिलता-जुलता नाम नहीं है जो, हिमाचल प्रदेश में विद्यमान किसी अन्य मुद्रणालय का है ।"

निरसन और व्यावृत्तियां ।

4. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त, दि प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स (पंजाब अमैन्डमेंट) ऐक्ट, 1942 (1942 का 14) और दि प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स (पंजाब अमैन्डमेंट) ऐक्ट, 1957 (1957 का 15) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियमों के उपबन्धों द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हो, उस विस्तार तक इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस तारीख, जिसको ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी, को प्रवृत्त था ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।